



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025- ADMN

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

स्थापना आदेश सं. : 01/2026

दिनांक: 09.01.2026

निरीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री गौरव वैष्णव	03.10.1996	कार्यग्रहण पर (सीजीएसटी वड़ोदरा जोन से धारणाधिकार अवधि में प्रत्यावर्तन पर)	सीजीएसटी, उदयपुर

2. उपरोक्त अधिकारी को आज दिनांक 09.01.2026 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वह अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील - जयपुर/ अपील - जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. निरीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE